135

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 2877/दो/2017 जिला–शिवपुरी

1– बाबूलाल पुत्र श्री लालाराम
निवासी– लखनपुरा, ग्वालियर (म.प्र.)

2– कमला पुत्री श्री लालाराम
निवासी – गोपालनुरा शिवपुरी (म.प्र.)

–– प्रार्थीगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

– प्रतिप्रार्थी

श्री .... द्वारा आज दि. 08.2.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 8.2.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 66/2012–13/अ–21(2) में पारित आदेश दिनांक 22.02.2013 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 2877/दो/2016 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 06.01.2017 पारित किया गया है। (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)

2. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष जो निगरानी प्रस्तुत की गयी थी उसमें जो त्रुटिवंश प्रार्थीगण की भूमि सर्वे क्रमांक 352 का उल्लेख किया गया है, जबकि वास्तविक रूप से भूमि का सर्वे क्रमांक 552 है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के भूमि सर्वे क्रमांक 352 के स्थान पर 552 का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

3. यहकि, आवेदन सद्भाविक एवं न्यायिक होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतएव निवेदन है कि आवेदन–पत्र स्वीकार कर आदेश में उल्लेखित भूमि सर्वे क्रमांक 352 के स्थान पर भूमि सर्वे क्रमांक 552 स्थापित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाये।

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 08.02.2017

निवेदक
बाबूलाल पुत्र श्री लालाराम एवं अन्य
–– प्रार्थीगण
द्वारा अभिभाषक
के.के.द्विवेदी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ट

प्रकरण क्रमांक विविध 9049/दो/2017 जिला–शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
09.02.17	आवेदक अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के आवेदन पर सुना गया। अभिभाषक द्वारा बताया गया कि आदेश में लिपिकीय त्रुटिवश भूमि सर्वे क्रमांक 352 का उल्लेख किया गया है। जबकि वास्तविक रूप से भूमि सर्वे क्रमांक 552 होना चाहिये। मेरे द्वारा अभिभाषक के तर्कों एवं उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति एवं भू अधिकार अभिलेख की फोटो प्रति का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि आदेश में सर्वे क्रमांक 352 लिखा गया है, जबकि वास्तविक रूप से भूमि सर्वे क्रमांक 552 का होना चाहिये था। इसलिये भूमि सर्वे क्रमांक 352 के स्थान पर 552 पढा जाये। यह आदेश मूल प्रकरण क्रमांक 2877/दो/2016 का अंग होगा। सदस्य	